

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे पहिचा हो।



ग्राम : दूलीपरिधि  
दूरभाष : 0091-(0751) 2442901  
(ग्वालियर)  
2442482 (विकास)  
फैक्स : (0091-0751-2341768  
E-mail :  
jurg\_gwl@rediffmail.com  
Website :  
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2718

दिनांक 30-11-2015

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30 जून, 2015 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार जीनियस कॉलेज, मुरैना को सत्र 2015-16 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. (आ.पा., हिन्दी साहित्य, समाजशास्त्र, इतिहास), अतिरिक्त विषय- अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, बी.एस.-सी. (आ.पा., भौतिकी, रसायन, गणित), अतिरिक्त विषय- (वनस्पतिकी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटैक्नोलॉजी, कम्प्यूटर साइंस, जंतु विज्ञान), बी.कॉम. (प्लेन/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन), बी.सी.ए., पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

## निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. प्रयोगशाला में उपकरणों को पाठ्यक्रम अनुरूप कय करें।
2. पुस्तकालय में पाठ्यक्रम अनुसार सभी छः सेमेस्टर की पुस्तकें कय की जावे।
3. प्रयोगशाला का रखरखाव उचित प्रकार से किया जावे।
4. पाठ्यक्रमों के हिसाब से कक्षाओं की संख्या कम है अतः महाविद्यालय भवन का निर्माण शीघ्र पूर्ण करें। पी.जी.डी.सी.ए. में केवल 40 सीट की मान्यता दी जावे।
5. एन.एस.एस. की इकाई शुरू करें। खेल का मैदान उन्नत करें
6. महाविद्यालय की भूमि की रजिस्ट्री समिति के नाम से की जावे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, जीनियस कॉलेज, मुरैना।
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-वंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्